संख्या- 226 /2015/318/69-1-2015-14(104)/2013

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 13 मार्च, 2015

विषयः- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य और शहर स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) के पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3230/241/एनयूएलएम/तीन/2001 (सीबी एण्ड टी) दिनांक 08.12.2014 व संख्या-4149/241/एनयूएलएम/तीन/2001 (सीबी एण्ड टी) दिनांक 28.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 06 तकनीकी विशेषज्ञ, 82 शहरों हेतु शहर स्तर पर 198 तकनीकी विशेषज्ञ अर्थात कुल 206 तकनीकी विशेषज्ञ तथा शहर स्तर पर 474 सामुदायिक आयोजक के पदों को आउटसोर्सिंग से भरे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत पदों पर भर्ती सेवा प्रदाता के माध्यम से की जायेगी और इनकी नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी तथा इन पदों पर व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार 12 प्रतिशत की निर्धारित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही सुनिश्चत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत पदों के लिए योजनान्तर्गत भारत सरकार की गाइडलाइन्स में निर्धारित योग्यता में न तो शिथिलीकरण किया जायेगा और न ही निर्धारित पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी की जायेगी।

(3) सेवाप्रदाता एवं विभाग के मध्य एक अनुबन्ध गठित होगा और अनुबंध पत्र न्याय विभाग के परामर्श से तैयार किया जायेगा।

(4) योजना समाप्ति के पश्चात अनुमन्य पद स्वतः समाप्त माने जायेंगे।

2. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-226 /2015/318(1)/ 69-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. बजट समन्वयक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।